निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 735) पटना, वृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2021

सं० 2/आरोप–01–42/2018–7925/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

2 अगस्त 2021

श्री गोविन्द चौधरी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1000/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोसी, जहानाबाद सम्प्रति अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, औरंगाबाद के विरूद्ध लोकायुक्त वाद सं0–01/लो0 (पंचायत)– 03/2010 के आलोक में घोषी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत भारथु में वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11 में दायित्वों का निवर्हन नहीं करने से संबंधित आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक 99 दिनांक 25.04.2019 द्वारा आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया। जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा समर्पित आरोपों पर विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप है कि–

''प्रभार में दिनांक 20.08.2004 से 20.03.2009 तक थे। उक्त अवधि में प्रखंड विकास पदाधिकारी होने के नाते उनकी जावबदेही बनती थी कि पंचायत योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करें, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। उनके द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करने के कारण मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा योजनाओं में अनियमितता की गयी।

माननीय लोकायुक्त, बिहार का वाद सं0–01/लोक0(पंचायत)–03/2010 एवं जिला लोकायुक्त कोषांग का पत्रांक 147/लोक दिनांक 13.10.2017 के आलोक में श्रीमती प्रतिमा देवी, मुखिया भारथु, घोषी, जहानाबाद एवं पंचायत सचिव के विरूद्ध मामले की जाँच जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जाँच दल द्वारा की गयी। जाँच दल द्वारा सम्पूर्ण मामले की जाँच करते हुए प्रतिवेदित किया गया है। जाँच के क्रम मे पाया गया है कि पूर्व में जिला जनशिकायत निवारण पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा परिवाद पत्र के आलोक में बिन्दुवार जाँच का प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है। अरविन्द प्रसाद सिंह, जन सेवक से विभिन्न योजनाओं में 493384/–रू0 वसूलनीय प्रतिवेदित किया गया था। साथ ही ब्याज की राशि 388148/–रू0 वसूलनीय था, जिसकी वसूली हेतु पूर्व में उनके विरूद्ध निलाम पत्र वाद संख्या 01/2016–17 दायर किया गया था। साथ ही वर्तमान पंचायत सचिव, भारथु द्वारा उनके विरूद्ध सरकारी राशि का दुरूपयोग एवं गबन के संबंध में प्राथमिकी केस संख्या 343/2016 दिनांक 27.11.2016 घोषी थाना में दर्ज करवाया गया है। साथ ही निलाम पत्र पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा पारित आदेश में जिसमें सूद सहित कुल

राशि 881530/–रू0 वसूली का आदेश पारित किया गया है। अरविन्द प्रसाद सिंह, जन सेवक द्वारा ससमय राशि जमा नहीं करने के कारण निलंबन किया गया है तथा वर्तमान में सभी राशि (सूद सहित) अरविन्द प्रसाद सिंह, जनसेवक द्वारा जमा किया जा चुका है तथा शेष कुछ भी वसूली के लिए नहीं बचा है।

द्वादश वित्त आयोग की योजनाओं जिसमें अनियमितता पायी गयी थी, की संख्या 10 है सभी योजनायें वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 की है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना के अन्तर्गत जिसमें अनियमितता पायी गयी कि कुल संख्या–16 है। ये सभी योजनायें वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की है।

उक्त अवधि में दिनांक 20.08.2004 से 20.03.2009 तक श्री गोविन्द चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोषी, के प्रभार में थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी होने के नाते उनकी जवाबदेही बनती थी कि पंचायत योजनाओं का भी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करें, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। उनके द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करने के कारण मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा योजनाओं में अनियमितता की गयी।''

विभागीय पत्रांक 8413 दिनांक 25.06.2019 एवं पत्रांक 9591 दिनांक 17.07.2019 द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री चौधरी के पत्र दिनांक 20.07.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 13179 दिनांक 23.09.2019 द्वारा जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक 34 दिनांक 22.02.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री चौधरी के विरूद्ध कुल–08 आरोप में आरोप संख्या–01, 02 एवं 06 में यह अभिलेख से संबंधित है। आरोप संख्या–03, 04 एवं 05 में समीक्षा एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता थी, जो नहीं किया गया एवं आरोप संख्या–07 एवं 08 में अस्वीकारात्मक बताया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण, एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5719 दिनांक 15.06.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक 125/विधि दिनांक 14.01.2021 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का मंतव्य निम्नलिखित है :–

''आरोपी पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों/कागजातों की परिशीलन किया गया और उनके बहस को सुना गया।

आरोपी पदाधिकारी के द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि उनके प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोषी के तौर पर पदस्थापन काल में भी योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता हुई है। किंतु उनके द्वारा बताया गया कि पंचायती राज के तहत संचालित योजनाओं के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी उत्तरदायी नहीं है, आरोप सामान्य अवधारणा के तहत लगाया गया है। आरोपी पदाधिकारी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है। उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति असंवेदशील तर्क दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर पर सही ढंग से र्मानिटरिंग होती तो संबंधित योजनाओं में अनियमितता उजागर नहीं होती। सुनवाई के क्रम में आरोपी पदाधिकारी के द्वारा संबंधित योजनाओं में अनियमितता पर किसी प्रकार का प्रश्नचिह्न खड़ा नहीं किया गया।

आरोपी पदाधिकारी के द्वारा पंचायती राज विभाग का अधिसूचना संख्या 1930 दिनांक 26.08.2008 का उल्लेख करना अप्रासंगिक है। इस पत्र से प्रखंड विकास पदाधिकारी के मॉनिटरिंग के कार्य का कोई लेना–देना नहीं है, अपितु यह अनियमितता के जाँच के लिए है जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी का कर्तव्य है कि पंचायत स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता न हो इसके लिए सत्त एवं अनुकूल पर्यवक्षण करे।

आरोपी पदाधिकारी का यह कथन कि पंचायत की योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता के लिए मुखिया एवं पंचायत सचिव दोषी है ना कि अन्य कर्मी, स्वीकार योग्य नहीं है। पंचायत सचिव सीधे तौर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के अधीन कार्य करता है। पंचायत सचिव के उपर नियंत्रण रखना प्रखंड विकास पदाधिकारी की जिम्मेवारी होती है। यदि योजनाओं के अनियमितता के लिए मुखिया एवं पंचायत सचिव दोषी है तो स्पष्टतः अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उत्तरदायी है।

पंचायत स्तर पर सरकार के योजनाओं की पूरी तरह से कार्यान्वयन कराने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी उत्तरदायी है। स्पष्टतः आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरती गई। भ्रमण के क्रम में आरोपी पदाधिकारी के द्वारा मुखिया को फटकार लगा देने से कर्तव्यों का इति श्री नहीं हो जता है। आरोपी पदाधिकारी के उपर संबंधित पंचायत योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने का आरोप प्रमाणित होता है।''

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री चौधरी के विरूद्ध दायित्वों का निर्वहन नहीं करने का आरोप है। श्री चौधरी के द्वारा पंचायत स्तर पर सरकार के योजनाओं की पूरी तरह से कार्यान्वयन कराने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी उत्तरदायी है। स्पष्टतः आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरती गई। भ्रमण के क्रम में आरोपी पदाधिकारी के द्वारा मुखिया को फटकार लगा देने से कर्तव्यों का इति श्री नहीं हो जता है। **आरोपी पदाधिकारी के उपर संबंधित पंचायत योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने का आरोप प्रमाणित होता है।**

श्री चौधरी द्वारा जाँच प्रतिवेदन पर समर्पित लिखित अभिकथन निम्नलिखित है :–

'यह मामला लगभग 12 वर्ष पूर्व का है तथा मेरे पदस्थापन काल की द्वादश वित्त आयोग की तीन योजनाओं में जाँचोपरांत अनियमितता पाई गई। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस योजनाओं की जाँच पहली बार

जिला जन शिकायत पदाधिकारी द्वारा की गई तथा योजनाओं में पाई अनियमितता के विरूद्ध राशि की वसूली तत्कालीन पंचायत सचिव से की गई। उक्त जाँच की सूचना मुझे नहीं दी गई तथा किस प्रकार की अनियमितता पाई गई, इस संबंध में भी मुझे सूचित नहीं किया गया। दूसरी बार इसकी जाँच जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद द्वारा की गई तथा जाँच में सम्मिलित सभी योजनाओं के समय पदस्थापित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों की योजनाओं के अनुश्रवण नहीं करने का आरोप लगाया गया। जहाँ तक मुझे ज्ञात है पदस्थापन की अवधि में कार्यों के निर्वाह्न को लेकर नियंत्री पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्रतिवेदित नहीं की गई तथा सौंपें गए सभी दायित्वों का यथासंभव निर्वाह्न किया गया। अतः जाँच पदाधिकारी का यह आरोप कि तत्कालीन पदस्थापित किसी पदाधिकारी द्वारा योजनाओं का अनुश्रवण नहीं किया गया सही प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि उक्त पदस्थापन अवधि में जानबूझ कर किसी कार्यों के प्रति लापरवाही नहीं बरती गई है।''

श्री चौधरी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं आरोपी के लिखित अभिकथन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री चौधरी के द्वारा पंचायत स्तर पर आम जनता के लिए सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण किये जाने में लापरवाही बरती गयी है, जो एक वरीय पदाधिकारी के कर्त्तव्यहीनता का परिचायक है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी प्रतिवेदित आरोप के जाँचोपरान्त श्री चौधरी को योजनाओं के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने के लिए उत्तरदायी पाया गया है। प्रतिवेदित एवं प्रमाणित आरोपों के आलोक में श्री चौधरी के बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोशित) के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत् **(i)** ***संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतनवृद्धियों पर रोक,*** **(ii)** ***देय तिथि से तीन वर्षों के लिए प्रोन्नति पर रोक*** का दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

विभागीय पत्रांक 5570 दिनांक 08.06.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री चौधरी के विरूद्ध विनिश्चित उपर्युक्त दण्ड प्रस्ताव पर सहमति/परामर्श की मांग की गई। आयोग के पत्रांक 928/लो0से0आ0 दिनांक 14.07.2021 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसर विनिश्चत दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री गोविन्द चौधरी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1000/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोसी, जहानाबाद सम्प्रति अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, औरंगाबाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नलिखित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

(i) संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतनवृद्धियों पर रोक,

(ii) देय तिथि से तीन वर्षों के लिए प्रोन्नति पर रोक।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 735-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in